न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

57

समक्षः—एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 638—दो/09 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 20.03.09 के द्वारा अपर आयुक्त चंम्बल संभाग मुरैना, द्वारा प्रकरण कमांक 31/2005—06 अपील.

.....

घनश्याम पुत्र श्री दरोगा सिंह
निवासी ग्राम छेंकुरी तहसील
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

————आवेदक

विरूद्ध

1—हरज्ञान सिंह 2—सेवाराम
3—जयसिंह 4—रामनाथ
5—मेहरवान पुत्रगण झेपेसिंह
6—जौधाराम पुत्र श्री अंतराम
निवासीगण ग्राम छेंकुरी तहसील
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

———अनावेदकगण

.....

श्री कुअंर सिंह कुशवाह,अभिभाषक आवेदक
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 06-11-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.3.09 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदगण ने अनुविभागीय अधिकारी गोहद जिला भिण्ड के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि उनके भूमिस्वामी स्वत्व पर ग्राम छैकुरी जिला भिण्ड के स्थित आराजी कमाक 564 रकबा 0.87 हैक्टर समान भाग पर है। पुर्व मे इसी भूमी का सर्वे कमांक 489 रकवा 0.836 हैक्टर था। राजस्व कागजात की नकले लेने पर ज्ञात हुआ है कि नवीन बन्दोबस्ती नक्शा किस्तवार में पूर्व नक्शा की स्थिति के विपरीत व मौके की स्थिति के विपरीत मनमाने तरीके से बंदोवस्त कर्मचारियो ने खेत का आकार छोटा कर दिया है व स्थान भी परिवर्तित कर दिया है जब कि नक्शे के विपरीत वाली भूमि कम उपजाउ है। अतः किस्त बन्दी खतौनी संबत 2058 की नकल अनुसार रकबे में मौके के अनुरुप संशोधन किया जावे। इस पर अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 60/2002–03/अ–5 पंजीबद्व किया तथा आदेश दिनांक 2.5.03 से प्रकरण नायव तहसीलदार वृत्त मौ को निराकरण हेतु प्रकरण अंतरित किया । अति तहसीलदार वृत्त मौ ने सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 22.07.03 पारित किया तथा मौके की सही स्थिति अनुसार सर्वे नंबर 566/2 रकवा 0.87 हैक्टर के भूभाग को दुरुस्त करना आदेशित किया। इसके उपरांत अनावेदकगण ने कलेक्टर भिण्ड के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक निल प्रस्तुत करके इस आशय की शिकायत की, कि अपर तहसीलदार ने अवैधानिक तरीके से शासकीय भूमि को खाते में भूमि बढ़ती कर दी और इस प्रकार की कार्यवाही के तहसीलदार को अधिकार नहीं थे। इसे कलेक्टर भिण्ड ने स्वमेव निगरानी कमांक 31/2005–06 पंजीबद्व की तथा आदेश दिनांक 31.01.07 पारित कर अपर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया । इसी आदेश के विरुद्व यह निगरानी है।

3/ उभयपक्ष के अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया।आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है।

4– प्रकरण के अध्ययन से स्पष्ट है कि बदोंवस्त के दौरान हुई त्रुटि को बदोवस्त पश्चात सुधार करने का अधिकार नायव तहसीलदार को है, अथवा नहीं ? उक्त संबंध में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 89 में इस प्रकार की गलतियों को ठीक करने का अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को है, न कि नायव तहसीलदार को।

5–प्रश्नाधीन आदेश से अनावेदकगण के स्वामित्व का रकवा कितना कमी बेशी हुआहै या नहीं ? उक्त संबंध में अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है, कि अनावेदकगण का कब्जा बंदोवस्त के पूर्व एवं उपरांत भी समान रहा है। इस कारण दुरूस्ती का आवेदन प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

5–जांचकर्ता अधिकारी सहाकय अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों का मौका स्थल निरीक्षण किया गया है अथवा टेबिल प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। तत्संबंध में अभिलेख के अवलोकन करने से तथ्य प्रकाश में आया है कि जांचकर्ता अधिकारी द्वारा प्रभावित कास्तकारों को मौका स्थल निरीक्षण के संबंध में किसी प्रकार की सूचना जारी होना नहीं पाया जाता हैं और न ही मौके का पंचनामा भी तैयार किया जाकर संलग्न नहीं पाया गया है। ऐसी दशा में कलेक्टर जिला भिण्ड ने नायंव तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा यह प्रकरण उनके द्वारा म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–115/116 का मानकर जो आदेश पारित किया है वह त्रटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा कलेक्टर जिला भिण्ड के प्रकरण कमांक 31/05–06/स्व0 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31.1.07 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर